वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 2015-श्रावण 16, शके 1937

## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम गिरधर शेरवानी आत्मज श्री मंशाराम शेरवानी था, अब बदलकर गौरव शेरवानी आत्मज श्री मंशाराम शेरवानी, निवासी-118, विवेकानन्द नगर, भोपाल हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

**( गिरधर शेरवानी )**

नया नाम :

**( गौरव शेरवानी )**

(241-बी.)

---

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा बचपन का नाम उमा मिश्रा है मुझे घर में उमा के नाम से बुलाते हैं तथा मेरा स्कूल का नाम शिवा मिश्रा है, मेरे समस्त शिक्षा सम्बन्धी मार्कशीट एवं दस्तावेजों में मेरा नाम शिवा मिश्रा लिखा है. इस प्रकार उमा मिश्रा एवं शिवा मिश्रा मेरे ही नाम हैं मुझे दोनों नामों से पुकारा जाता है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उमा मिश्रा एवं शिवा मिश्रा दोनों मेरे ही नाम हैं.

सूचनाकर्ता,

**शिवा मिश्रा,**

पुत्री श्री रवि मिश्रा

निवासी-म. नं. 58/54, चना कोठार, कम्पू,

गिर्द, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(242-बी.)

---

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम प्रतीक कुमार ठाकुर दर्ज था जो कि अब बदलकर प्रतीक लोधी पिता श्री अनिल कुमार हो गया है. अब मुझे मेरे नये नाम प्रतीक लोधी से जाना जाए.

पुराना नाम :

**( प्रतीक कुमार ठाकुर )**

नया नाम :

**( प्रतीक लोधी )**

पता-ग्राम रौंसरा, तहसील व जिला नरसिंहपुर,

पिन-487001.

(245-बी.)

## नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा मैं, आनन्द मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा, निवासी-451, बजरंग नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का व घरेलू नाम गोपाल रहा है परन्तु पंजीकृत नाम शिक्षण संस्था इत्यादि में आनन्द मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा ही रहा है. मेरे बचपन में मेरे पिता द्वारा सम्पत्ति क्रय समय दस्तावेजों में तथा अन्य स्थानों पर मेरा बचपन का नाम गोपाल लिखा दिया होने से यही नाम अंकित है.

वर्तमान में मेरा एक ही नाम आनन्द मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा है. मैं इसी नाम से पुकारा, जाना व पहचाना जाता हूँ. इस कारण मैं मेरे नाम गोपाल पिता दशरथ के स्थान पर आनन्द मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा पुकारने, जानने, पहचानने हेतु सूचित कर रहा हूँ. तत्सम्बन्ध में मैंने शपथ-पत्र भी निष्पादित किया है.

पुराना नाम :
**( गोपाल )**

नया नाम :
**( आनन्द मंडावरा )**

(244-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरा नाम ALEY P.A. D/o ABRAHAM था, शादी के बाद मेरा नाम रेखा भदौरिया ( REKHA BHADORIA ) पत्नी श्री रामशंकर सिंह भदौरिया हो गया है. अतः शादी के बाद से मैं इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
**( ALEY P.A.)**

नया नाम :
**( रेखा भदौरिया )**
निवासी-G-4, HFWTC Campus, City Centre,
Gwalior (M.P.).

(246-बी.)

## CHANGE OF NAME

I, Roma Rijhwani inform that I had changed my name from Komal Rijhwani W/o Keshav Rijhwani to Roma Rijhwani in all records writings deeds as well as upon all occasions whatsoever. Roma Rijhwani 6, Kranti Kriplani Nagar, Indore.

Old Name :
**( KOMAL RIJHWANI )**

New Name :
**( ROMA RIJHWANI )**

(247-B.)

## CHANGE OF NAME

Sonam Malhotra DOB 2/27/78 D/o Late Mohd. Anwar R/o X-6, PWD Qtrs, Tulsi Nagar, Bhopal-462003, M.P. India. have Changed my name from Sohlat Anwar Alias Sohlat Anwar Tiwari to Sonam Malhotra Know all.

Old Name :
**( SOHLAT ANWAR TIWARI )**

New Name :
**( SONAM MALHOTRA )**
W/o Ashwini Malhotra.

(248-B.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कचल्या देवी पति स्व. श्री कैलाश, निवासी-ग्राम सुल्पाखेड़ा, तहसील व जिला देवास हूँ, मुझे उमरावबाई उर्फ कौशल्याबाई एवं कचल्या देवी के नाम से जाना जाता है, तीनों नाम मेरे ही हैं, मुझे आज से भविष्य में श्रीमती कचल्या देवी पति स्व. श्री कैलाश नाम से जाना व पहचाना जावे तथा शासकीय व अर्द्धशासकीय एवं अन्य कार्यालयों के दस्तावेजों में भी मेरा नाम श्रीमती कचल्या देवी ही अंकित करना चाहती हूँ.

**गोपाल पवार**
(एडवोकेट),
41, राजभवन, नयापुरा, देवास (म.प्र.).

(251-बी.)

## नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा मैं, आलोक मंडावरा पिता श्री.दशरथ मंडावरा, निवासी-451, बजरंग नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का व घरेलू नाम प्रहलाद रहा है परन्तु पंजीकृत नाम शिक्षण संस्था इत्यादि में आलोक मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा ही रहा है. मेरे बचपन में मेरे पिता द्वारा सम्पत्ति क्रय समय दस्तावेजों में तथा अन्य स्थानों पर मेरा बचपन का नाम प्रहलाद लिखा दिया होने से यही नाम अंकित है.

वर्तमान में मेरा एक ही नाम आलोक मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा है. मैं इसी नाम से पुकारा, जाना व पहचाना जाता हूँ. इस कारण मैं मेरे नाम प्रहलाद पिता दशरथ के स्थान पर आलोक मंडावरा पिता श्री दशरथ मंडावरा पुकारने, जानने, पहचानने हेतु सूचित कर रहा हूँ. तत्सम्बन्ध में मैंने शपथ-पत्र भी निष्पादित किया है.

पुराना नाम :
**( प्रहलाद )**

नया नाम :
**( आलोक मंडावरा )**

(243-बी.)

## नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सरिता सिंह पत्नि श्री भगवान सिंह घोषणा करती हूँ कि मैं, विवाह से पूर्व कौशल्या पुत्री स्व. श्री मुसाफिर चौधरी के नाम से जानी जाती थी. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती सरिता सिंह हो गया है. अब मैं श्रीमती सरिता सिंह के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
**( कौशल्या चौधरी )**

नया नाम :
**( सरिता सिंह )**
जे. एम. 170/2 सी., साकेत नगर, भोपाल.
द्वारा-हेमन्त सिरसट (कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी,
नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(249-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी मंजूलता सोनी पुत्री श्री बृजलाल सोनी था. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमति शालिनी सोनी हो गया है.

अत: भविष्य में मुझे श्रीमति शालिनी सोनी पत्नि श्री संतोष कुमार सोनी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
**( मंजूलता सोनी )**
पुत्री-श्री बृजलाल सोनी

नया नाम :
**( शालिनी सोनी )**
पत्नि-श्री संतोष कुमार सोनी,
प्लॉट नं.-8-A, पंचशील कॉलोनी, साकेत नगर,
M.R.-4 रोड, जबलपुर (मध्यप्रदेश).

(250-बी.)

## नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाकर्ता के पुत्र अंशुल राठौर ने हैप्पीडेज उ. मा. वि., शिवपुरी से मार्च 2014 में कक्षा 10 की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की थी उसकी उक्त परीक्षा की अंकसूची में अंशुल राठौर के उपनाम की स्पेलिंग RATHORE दर्ज है. जबकि उसके उपनाम की सही स्पेलिंग RATHOR है. अंशुल राठौर की उक्त परीक्षा की अंकसूची में मेरा नाम N K RATHOR लिखा हुआ है. जबकि मेरा पूरा व सही नाम NARAYAN RATHOR है. उक्त त्रुटियों का संशोधन करवाया जा रहा है. अस्तु अंशुल राठौर की अंकसूची में अंशुल राठौर के उपनाम की स्पेलिंग RATHOR पढ़ी व मान्य की जावे तथा मेरा नाम NARAYAN RATHOR पढ़ा व मान्य किया जावे.

सूचनाकर्ता,
**नारायण राठौर,**
पुत्र-श्री उदयचन्द राठौर,
निवासी-19, आदर्श नगर, शिवपुरी (म.प्र.).

(254-बी.)

## जाहिर सूचना

**( भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 की धारा-62 के अंतर्गत सूचना )**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स यश कन्स्ट्रक्शन भोपाल, पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00516/2012, दिनांक 07 मार्च, 2012 की भागीदार विलेख में दिनांक 24 जुलाई, 2015 को नाम सुधार कर विलेख बनाई गई है जो निम्न है:-

1. श्री आर. एस. चौहान पुत्र स्व. श्री बी. एस. चौहान भोपाल का नाम सुधार कर आगे श्री राजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री बलवंत सिंह चौहान नाम पढ़ा/माना जावे.
2. श्री नरेन्द्र सिंह बिसेन पुत्र स्व. श्री बी. एस. बिसेन भोपाल का नाम सुधार कर श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री बाबू सिंह राजपूत पढ़ा/माना जावे.
3. श्री यशवर्धन सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह भोपाल का नाम सुधार कर यश तोमर पुत्र श्री प्रहलाद सिंह तोमर पढ़ा/माना जावे.
4. ठाकुर विजय सिंह पुत्र श्री ठाकुर रतन सिंह को सुधार कर विजय सिंह तोमर पुत्र श्री रतन सिंह तोमर पढ़ा/माना जावे.

For Yash Construction,
**नरेन्द्र सिंह बिसेन,**
(Partner)
पता-84/9-बी, साकेत नगर, भोपाल.

(255-बी.)

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र./ 03/बी-113 (1)/2014-15.

**फार्म-4**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष :** पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूँकि प्रार्थी श्री प्रहलाद पिता बंसीलाल गर्ग, निवासी-खरगोन, अध्यक्ष द्वारा ''श्री तिरूपति बालाजी भक्त मण्डल ट्रस्ट'' के नाम से कस्बा खरगोन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक-30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

| अ. क्र. | नाम वस्तु | विवरण | वजन तथा नग | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नगद | — | — | 71,000.00 रुपये |
| 2. | अचल सम्पत्ति | — | — | — |

**महेन्द्र सिंह कवचे,**
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(411)

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर, जबलपुर

रा.प्र. क्र./ 03/बी-113(4)/2014-15.

**प्रारूप-4**

[नियम-5(1) देखिए ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

चूँकि आवेदक श्रीमति शरण दुलारी एवं डॉ. बी. एन. श्रीवास्तव, चैरिटेबल ट्रस्ट, 1139, प्रेमनगर नागपुर रोड, पेट्रोल पम्प के पास, जबलपुर-482001 मध्यप्रदेश द्वारा जनरल सेक्रेटरी विशाल श्रीवास्तव एवं डिप्टी मैनेजिंग ट्रस्टी सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तथा मैनेजिंग ट्रस्टी गोविंद सहाय श्रीवास्तव, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 26 अगस्त, 2015 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता : श्रीमति शरण दुलारी एवं डॉ. बी. एन. श्रीवास्तव, चैरिटेबल ट्रस्ट 1139, प्रेमनगर, नागपुर रोड, जबलपुर.

2. चल सम्पत्ति : नगर निगम भवन क्रमांक 1139/ V-A नया भवन क्रमांक-1828 कुल प्लाट एरिया 9600 वर्गफुट निर्मित एरिया भूतल 3800 वर्गफुट प्रथम तल 2200 वर्गफुट एवं इसके अतिरिक्त आउट हाउसेस भी बने हुये हैं. जिसमें तीन किरायेदार निवासरत हैं.

**भवन की चौहद्दी**— पूर्व में —श्रीयुत रामेश्वर निखरा एडवोकेट.
पश्चिम में —सरकारी रोड 30 फीट.
उत्तर में —कजरवेंसी एवं भवन अंकित अपार्टमेंट.
दक्षिण में —सरकारी 30 फुट चौड़ी सड़क.

3. अचल सम्पत्ति—

| क्र. | बैंक का नाम व पता | नामिनेशन | खाता क्रमांक | जमा राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पंजाब नेशनल बैंक, नागपुर रोड, जबलपुर. | — | 070800100080824 श्रीमति कमला श्रीवास्तव | 1,80,437/- |
| 2. | बैंक ऑफ बड़ोदा, नेपियर टाउन, जबलपुर. | — | 07170100001529 | 81,866/- |
| 3. | बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर | विधा भूषण श्रीवास्तव रजि. नम्बर 9426/09-07-2010 | 940110100013113 | 33,220/- |
| 4. | बैंक ऑफ इंडिया, जबलपुर | विधा भूषण श्रीवास्तव रजि. नम्बर 9425/06-08-2012 | — | 1,52,321/- |
| 5. | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | — | 10080194803 पेंशन एकाउण्ट | 7,59,290/- |
| 6. | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | नामांकन किया गया दिनांक 02-12-2009 | 10080137469 | 3,57,265/- |
| 7. | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | — | पी. पी. एफ. एकाउण्ट 10609317561 | 32,34,932/- |
| 8. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | नामांकन किया गया | 552902010000961 | 1,22,660/- |
| 9. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | नामांकन किया गया | 552902010005043 | 2,26,884/- |
| 10. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | ट्रस्ट की पास बुक है | 552902010005016 | 2,43,459/- |
| 11. | एपेक्स सहकारी बैंक मर्यादित | 31-03-2012 नामांकन किया गया. | 6033 | 7,228/- |

III. सावधि जमा राशियों का विवरण—

| क्र. | एकांउट नम्बर | राशि | परिपक्वता की तिथि | नामांकन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | | | | |
| 1. | 30126715276 | 1,89,904/- | 31-12-2013 | ट्रस्ट के नाम नामांकन क्रमांक |
| 2. | 30126714817 | 16,22,350/- | 31-12-2013 | 46558432. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 30126702368 | 2,23,993/- | 31-12-2013 | |
| 4. | 30345706419 | 45,684/- | 11-03-2013 | |
| 5. | 32650030353 | 16,23,948/- | 03-03-2013 | |
| 6. | 32183485318 | 5,50,562/- | 05-02-2013 | |
| II. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया— | | | | |
| 7. | 202187578 | 85,525/- | 02-06-2013 | नामांकन क्रमांक 552904272211. |
| 8. | 202187578 | 84,145/- | 02-06-2013 | नामांकन क्रमांक 552904272246. |
| 9. | 202187578 | 86,920/- | 02-06-2013 | नामांकन क्रमांक 552904272234. |
| 10. | 5529030001331 | 15,239/- | 10-02-2013 | नामांकन क्रमांक 552902715196. |
| 11. | 552903030001334 | 77,266/- | 12-02-2013 | नामांकन क्रमांक 552902717044. |
| III. पंजाब नेशनल बैंक नागपुर रोड, जबलपुर— | | | | |
| 12. | 070800PR00043549PQ43549 | 3,29,887/- | 31-01-2013 | श्री विधा भूषण |
| 13. | 070800PR00043558PQ43558 | 47,247/- | 31-01-2013 | श्री जगदीश नारायण |
| 14. | 070800PR00043530PQ43530 | 1,54,418/- | 31-01-2013 | श्री जगदीश नारायण |

**पी. सी. डेहरिया,**
अनुविभागीय अधिकारी.

(417)

# अन्य सूचनाएं

## मध्यप्रदेश शासन

## सामान्य प्रशासन विभाग

## मंत्रालय

## ( आदेश )

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई, 2015

क्र. ई-1/466/2014/5/एक.—**श्री अशोक कुमार बर्णवाल,** भाप्रसे (1991) को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87-Estt. (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार अपने नाम "श्री अशोक कुमार बर्णवाल" (Shri Ashok Kumar Barnwal ) को परिवर्तित कर अब "**श्री अशोक बर्णवाल**" (Shri Ashok Barnwal ) करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रजोजनों के लिये अब उन्हें "**श्री अशोक बर्णवाल**" (Shri Ashok Barnwal ) नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ॲन्टोनी डिसा,**
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

(419)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2006.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) (सी/ग) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | किसान बीज उत्पादक एवं कृषि आदान सहकारिता मर्या., झारडा, तहसील महिदपुर. | 78/14-06-2005 |

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

| क्रमांक | संस्था का नाम | पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक | परिसमापक का नाम व पद |
|---|---|---|---|
| 1. | किसान बीज उत्पादक एवं कृषि आदान सहकारिता मर्या., झारडा, तहसील महिदपुर. | 78/14-06-2005 | श्री मुकेश जोशी, सी. ई. ओ., महिदपुर. |

यह आदेश आज दिनांक 30 मई, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(412)

---

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2349.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2661, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा सुविधा फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी संस्था मर्या., जैथल जिसका पंजीयन क्रमांक 1458, दिनांक 05 जुलाई, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(412-A)

---

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2350.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा ऋण मुक्तेश्वर वन खेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., गोन्सा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1676, दिनांक 10 जून, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(412-B)

---

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2352.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुड़िया बाजार, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 30 नवम्बर, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(412-C)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जगोटी, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 19 अक्टूबर, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(412-D)

---

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2354.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खुरचनिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(412-E)

उज्जैन, दिनांक 26 जून, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2355.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 519, दिनांक 01 मार्च, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुड़ी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 660, दिनांक 16 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**मनोज जायसवाल,**
उप-पंजीयक.

(412-F)

---

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, जिला सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1198, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था स्टेशनरी सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना, पंजीयन क्र. 1198, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए स्टेशनरी सप्लाई सहकारी समिति मर्या., सतना, जिला सतना, पंजीयन क्र. 1198, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(389-E)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1200, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था पत्थर-पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., गहिरा, पंजीयन क्र. 256, दिनांक 07 सितम्बर, 1996 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए पत्थर -पटिया खदान सहकारी समिति मर्या., गहिरा, जिला सतना, पंजीयन क्र. 256, दिनांक 07 सितम्बर, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(389-F)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1201, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था हरिजन आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., कारीमाटी, पंजीयन क्र. 248, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए हरिजन आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., कारीमाटी, जिला सतना, पंजीयन क्र. 248, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(389-G)

---

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

महिला प्राथमिक सहकारी उप-भण्डार सहकारी समिति मर्या., धवारी, वार्ड 31, पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 है, के आदेश क्रमांक 1235, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. गुप्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया था परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी.

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है. अत: सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है.

अत: मैं, आर. पी. पाल. उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1235, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार सहकारी समिति मर्या., धवारी, वार्ड 31, पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 को पुनर्जीवित करता हूँ.

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ.—

1. श्रीमती सुधा चतुर्वेदी, अध्यक्ष
2. श्रीमती चप्पादेवी, उपाध्यक्ष
3. श्रीमती राजकुमारी दुबे, सदस्य
4. श्रीमती सोनिया तिवारी, सदस्य
5. श्रीमती बेटी बाई गुप्ता, सदस्य
6. श्रीमती उमादेवी, सदस्य
7. श्रीमती सदादेवी, सदस्य
8. श्रीमती गुलसनिया, सदस्य
9. श्रीमती लीलादेवी सोनी, सदस्य
10. श्रीमती राशि त्रिवेदी, सदस्य
11. श्रीमती मुलिया, सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 07 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(413)

---

सतना, दिनांक 08 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/709.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1203, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., जगतदेव तालाब, सतना पंजीयन क्र. 636, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., जगतदेव तालाब, सतना, जिला सतना पंजीयन क्र. 636, दिनांक 30 दिसम्बर, 1985 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(413-A)

सतना, दिनांक 08 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/710.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1204, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था आर्शीवाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्र. 540, दिनांक 25 अगस्त, 2007 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए आर्शीवाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सतना, जिला सतना पंजीयन क्र. 540, दिनांक 25 अगस्त, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(413-B)

---

सतना, दिनांक 08 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/711.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1205, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सिन्धी कैम्प, सतना पंजीयन क्र. 534, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सिन्धी कैम्प सतना, जिला सतना पंजीयन क्र. 534, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(413-C)

---

सतना, दिनांक 08 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/712.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1206, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा संस्था सेन्ट्रल रेल्वे वेन्डर्स कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., सतना पंजीयन क्र. 465, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

संस्था के परिसमापक श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल रेल्वे वेन्डर्स कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्या., सतना, जिला सतना पंजीयन क्र. 465, दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूं. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**आर. पी. पाल,**
उप-रजिस्ट्रार.

(413-D)

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी, संस्थाएं जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं:-

| क्रमांक | नाम संस्था | पंजीयन क्रमांक/दिनांक | परिसमापन क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | मार्जिन की महिला प्राथ. उपभोक्ता भण्डार मर्या., देवास | 958/09-07-2001 | 2283/01-11-2014 |
| 2. | नैना महिला प्राथ. भण्डार मर्या., देवास | 948/10-05-2001 | 2297/01-11-2014 |

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनकी बसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बाबजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तद्नुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

**अनिता मेहरा,**
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(414)

## कार्यालय परिसमापक अनंत साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 11 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अनंत साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1724, दिनांक 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/795, खरगौन, दिनांक 07 जुलाई, 2015 से अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वधीन होगें.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

**राजेन्द्र महाजन,**
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(415)

## कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मगरधा, पंजी. क्रमांक 825, दिनांक 29 सितम्बर, 2010, विकासखण्ड बीजाडांडी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2470, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 27 मार्च, 2014 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 27 मार्च, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416)

---

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, ढेंको, पंजी. क्रमांक 1035, दिनांक 01 मार्च, 2014, विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2538, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 01 मई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-A)

---

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बीजाडांडी, पंजी. क्रमांक 795, दिनांक 11 अक्टूबर, 2007, विकासखण्ड बीजाडांडी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2471, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड,बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 19 मई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-B)

---

सहकारिता विभाग कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, मण्डला, पंजी. क्रमांक 1365, दिनांक 01 मार्च, 2014, विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2473, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, बिछिया को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 13 मई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-C)

---

मण्डला, दिनांक 29 मई, 2015

न्यायायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, पंजी. क्रमांक 747, दिनांक 09 मई, 2000, विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2006/1219, मण्डला, दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 26 मई, 2015 से प्रतीत होता है, कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-D)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/894/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा माझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, हिरदेनगर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के माझी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, हिरदेनगर, पंजीयन क्रमांक 740, दिनांक 23 मार्च, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-E)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/895/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा महिध्मति लेखन सामग्री सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के महिध्मति लेखन सामग्री सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 22 मार्च, 1994 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-F)

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/896/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, आमाटोला, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथमिक घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, आमाटोला, विकासखण्ड मण्डला पंजीयन क्रमांक 776, दिनांक 02 मार्च, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-G)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/897/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिलगी, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिलगी, पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 19 अगस्त, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-H)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/898/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा काष्टगार सहकारी समिति मर्यादित, देवरीदादर, विकासखण्ड मण्डला की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत काष्टगार सहकारी समिति मर्यादित, देवरीदादर, विकासखण्ड मण्डला पंजीयन क्रमांक 1367, दिनांक 01 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. के. डहेरिया, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-I)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/900/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा बाबा बरफानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बाबा बरफानी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, नैनपुर, पंजीयन क्रमांक 857, दिनांक 05 जून, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-J)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/901/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा जगृति खाद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिलई, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जगृति खाद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिलई, पंजीयन क्रमांक 858, दिनांक 16 जून, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-K)

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/902/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा बैगा बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इटका, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बैगा बाबा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इटका, पंजीयन क्रमांक 852, दिनांक 13 जनवरी, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-L)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/903/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मगरधा, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मगरधा, पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-M)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/904/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा संयुक्त खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, मुगदरा, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अतः समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अतः मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार,

सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत संयुक्त खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, मुगदरा, पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-N)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/905/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा काष्टगार सहकारी समिति मर्यादित, कालपी, विकासखण्ड बीजाडांडी की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत काष्टगार सहकारी समिति मर्यादित, कालपी, पंजीयन क्रमांक 1379 दिनांक 1 मार्च, 2014 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बीजाडांडी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-O)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/906/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरई, विकासखण्ड नैनपुर की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत किसान बीज उत्पादन सहकारी समिति मर्यादित, पिण्डरई, पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. डी. कोरी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नैनपुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-P)

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/907/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जगनाथर, विकासखण्ड बिछिया की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मॉ नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, जगनाथर, पंजीयन क्रमांक 827, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नितेन्द्र तेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बिछिया को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-Q)

---

मण्डला, दिनांक 19 जून, 2015

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सपंम/परि./2014/899/मण्डला, दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा आदिवासी घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, रिपटा जेवरा, विकासखण्ड नारायणगंज की पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने एवं संस्था की उपविधि अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कराने के कारण, कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस में समाधानकारक उत्तर चाहा गया था. इसके बाद भी संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. अत: समितियों द्वारा समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है, कि इस संस्था के भविष्य में भी कार्यशील होने की कोई सम्भावना नहीं है. अत: मेरे मत से इस संस्था को परिसमापन में लाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी समितियाँ मध्यप्रदेश भोपाल की शक्तियाँ जो मुझ में वेष्ठित हैं का-प्रयोग करते हुये मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला उपरोक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदिवासी घरेलू ईंधन सहकारी समिति मर्यादित, रिपटा जेवरा, पंजीयन क्रमांक 781, दिनांक 06 जुलाई, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा इस समिति की अस्तित्वों के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. अहिरवार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड नारायणगंज को परिसमापक नियुक्त करता हूँ साथ ही यह भी आदेशित करता हूँ कि धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन आदेश जारी करने के दिनांक से 3 माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(416-R)

---

मण्डला, दिनांक 25 जून, 2015

बुड़नेर हाथ करघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., सैलवारा, पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 14 जनवरी, 1992 विकासखण्ड घुघरी को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2001/992, 17 सितम्बर, 2001 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. गुप्ता, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घुघरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में पाया गया कि संस्था के हितों के संरक्षण की दृष्टि से संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बुड़नेर हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्या., सैलवारा, पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 14 जनवरी, 1992, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परिसमापन/2001/992/17 सितम्बर, 2001 को निरस्त करता हूँ एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, घुघरी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जून, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**के. सी. अग्रवाल,**
सहायक रजिस्ट्रार.

(416-S)

---

## कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, संभाग ग्वालियर

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/638, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष —आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गढ़, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है. आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(420)

---

ग्वालियर, दिनांक 04 जुलाई, 2015

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पं./2015/1165.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिजरोनी, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/631, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष —ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बिजरोनी, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है. आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(420-A)

ग्वालियर, दिनांक 04 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पं./2015/1176.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राढखेडा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/632, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष —महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राढखेडा, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है. आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(420-B)

---

ग्वालियर, दिनांक 06 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पं./2015/1186.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुआ, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/633, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष —महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुआ, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है. आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(420-C)

---

ग्वालियर, दिनांक 06 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पं./2015/1188.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मकरारा, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/637, दिनांक 04 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अत: संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज

विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष —महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मकरारा, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है. आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(420-D)

---

ग्वालियर, दिनांक 06 जुलाई, 2015

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./पं./2015/1190.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 21 जनवरी, 2015 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनपुर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक जे. आर./जी. डब्ल्यू/634, दिनांक 24 जुलाई, 2015 है. संस्था उपविधि क्रमांक 3.1 से 3.8 तक वर्णित उद्देश्यों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है साथ ही संस्था द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां संपादित नहीं की जा रही हैं. अतः संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष —आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., किशनपुर, जिला शिवपुरी के माध्यम से एवं समस्त संबंधित सदस्यों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त किया जाये? तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 21 जुलाई, 2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है. आगामी संस्था पंजीकरण की निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

**अभय कुमार खरे,**
संयुक्त पंजीयक.

(420-E)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32 ] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 2015-श्रावण 16, शके 1937


## भाग 3 ( 2 )

### सांख्यिकीय सूचनाएं

### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

**मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015**

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मुरैना, दतिया, उज्जैन, मण्डला जिले को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

**( अ ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील जौरा, कैलारस (मुरैना), दतिया (दतिया), पलेरा, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा (टीकमगढ़), बड़नगर (उज्जैन), बिछिया (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( ब ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.**—तहसील जतारा (टीकमगढ़) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

**( स ) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला होशंगाबाद में फसल गेहूँ व बुरहानपुर में गेहूँ, चना सिंगरौली में तुअर, अलसी, राई-सरासों, चना, मसूर, जौं, गेहूँ व मुरैना, पन्ना, सागर, ,उमरिया, उज्जैन, धार, खरगौन, सीहोर, बैतूल, डिण्डौरी व सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

**मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 08 अप्रैल, 2015**

| जिला/तहसीलें | 1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **जिला मुरैना :** | मिलीमीटर | 2. कटाई का कार्य चालू है. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. अम्बाह | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पोरसा | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मुरैना | .. | | | | |
| 4. जौरा | 5.0 | | | | |
| 5. सबलगढ़ | .. | | | | |
| 6. कैलारस | 2.0 | | | | |
| **जिला श्योपुर :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. श्योपुर | 82.0 | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. कराहल | 54.0 | | समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. विजयपुर | 76.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| ***जिला भिण्ड :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 1. अटेर | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 2. भिण्ड | .. | | (2) .. | | |
| 3. गोहद | .. | | | | |
| 4. मेहगांव | .. | | | | |
| 5. लहार | .. | | | | |
| 6. मिहोना | .. | | | | |
| 7. रौन | .. | | | | |
| **जिला ग्वालियर :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. ग्वालियर | .. | | 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. डबरा | .. | | मूँगफली अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भितरवार | .. | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 4. घाटीगांव | .. | | | | |
| **जिला दतिया :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सेवढ़ा | .. | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. दतिया | 3.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. भाण्डेर | .. | | | | |
| **जिला शिवपुरी :** | मिलीमीटर | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. शिवपुरी | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पिछोर | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. खनियाधाना | .. | | | | |
| 4. नरवर | .. | | | | |
| 5. करैरा | .. | | | | |
| 6. कोलारस | .. | | | | |
| 7. पोहरी | .. | | | | |
| 8. बदरवास | .. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला अशोकनगर:** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मुँगावली | . . | | 4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ईसागढ़ | . . | | गन्ना, गेहूँ कम. मक्का समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. अशोकनगर | . . | | (2) . . | | |
| 4. चन्देरी | . . | | | | |
| 5. शाढौरा | . . | | | | |
| ***जिला गुना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गुना | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. राघोगढ़ | . . | | (2) . . | | |
| 3. बमोरी | . . | | | | |
| 4. आरोन | . . | | | | |
| 5. चाचौड़ा | . . | | | | |
| 6. कुम्भराज | . . | | | | |
| **जिला टीकमगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटनां नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवाड़ी | 13.0 | | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पृथ्वीपुर | 3.0 | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जतारा | 18.0 | | | | |
| 4. टीकमगढ़ | . . | | | | |
| 5. बल्देवगढ़ | . . | | | | |
| 6. पलेरा | 12.0 | | | | |
| 7. ओरछा | 2.0 | | | | |
| **जिला छतरपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. लौण्डी | . . | | 4. (1) तुअर, जौ अधिक. गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. गौरीहार | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नौगांव | . . | | | | |
| 4. छतरपुर | . . | | | | |
| 5. राजनगर | . . | | | | |
| 6. बिजावर | . . | | | | |
| 7. बड़ामलहरा | . . | | | | |
| 8. बक्स्वाहा | . . | | | | |
| **जिला पन्ना :** | मिलीमीटर | 2. रबी फसलों की कटाई | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. अजयगढ़ | . . | का कार्य चालू है. | 4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पन्ना | . . | | अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. गुन्नौर | . . | | तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, | | |
| 4. पवई | . . | | चना, मसूर, आलू कम. | | |
| 5. शाहनगर | . . | | (2) . . | | |
| **जिला सागर :** | मिलीमीटर | 2. रबी फसलों की कटाई | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बीना | . . | का कार्य चालू है. | 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खुरई | . . | | राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज | चारा पर्याप्त. | |
| 3. बण्डा | . . | | समान. | | |
| 4. सागर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 5. रेहली | . . | | | | |
| 6. देवरी | . . | | | | |
| 7. गढ़ाकोटा | . . | | | | |
| 8. राहतगढ़ | . . | | | | |
| 9. केसली | . . | | | | |
| 10. मालथोन | . . | | | | |
| 11. शाहगढ़ | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला दमोह :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. हटा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. बटियागढ़ | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. दमोह | . . | | | | |
| 4. पथरिया | . . | | | | |
| 5. जवेरा | . . | | | | |
| 6. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| 7. पटेरा | . . | | | | |
| **जिला सतना :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. रघुराजनगर | . . | | 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मझगवां | . . | | सरसों. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. रामपुर-बघेलान | . . | | (2) . . | | |
| 4. नागौद | . . | | | | |
| 5. उचेहरा | . . | | | | |
| 6. अमरपाटन | . . | | | | |
| 7. रामनगर | . . | | | | |
| 8. मैहर | . . | | | | |
| 9. बिरसिंहपुर | . . | | | | |
| **जिला रीवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. त्यौंथर | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरमौर | . . | | मसूर, अलसी, अरहर समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मऊगंज | . . | | (2) . . | | |
| 4. हनुमना | . . | | | | |
| 5. हजूर | . . | | | | |
| 6. गुढ़ | . . | | | | |
| 7. रायपुरकर्चुलियान | . . | | | | |
| **जिला शहडोल :** | मिलीमीटर | 2. जुताई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोहागपुर | . . | | 4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. ब्यौहारी | . . | | अलसी, तुअर, राई-सरसों, मसूर, | चारा पर्याप्त. | |
| 3. जैसिंहनगर | . . | | मटर समान. | | |
| 4. जैतपुर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| **जिला अनूपपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जैतहरी | . . | | 4. (1) चना अधिक. राहर, गेहूँ कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अनूपपुर | . . | | राई-सरसों समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कोतमा | . . | | (2) . . | | |
| 4. पुष्पराजगढ़ | . . | | | | |
| **जिला उमरिया :** | मिलीमीटर | 2. कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. अपर्याप्त. | 7. . . |
| 1. बांधवगढ़ | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाली | . . | | अलसी, जौ अधिक. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मानपुर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला सीधी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. गोपदवनास | . . | | 4. (1) गेहूँ समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिंहावल | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मझौली | . . | | | | |
| 4. कुसमी | . . | | | | |
| 5. चुरहट | . . | | | | |
| 6. रामपुरनैकिन | . . | | | | |
| **जिला सिंगरौली :** | मिलीमीटर | 2. तुअर, अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, जौ, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. चितरंगी | . . | | 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी, मसूर, राई-सरसों, जौ, आलू समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. देवसर | . . | | (2) . . | | |
| 3. सिंगरौली | . . | | | | |
| **जिला मन्दसौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सुवासरा-टप्पा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. भानपुरा | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. मल्हारगढ़ | . . | | | | |
| 4. गरोठ | . . | | | | |
| 5. मन्दसौर | . . | | | | |
| 6. श्यामगढ़ | . . | | | | |
| 7. सीतामऊ | . . | | | | |
| 8. धुन्धड़का | . . | | | | |
| 9. संजीत | . . | | | | |
| 10.कयामपुर | . . | | | | |
| **जिला नीमच :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावद | . . | | 4. (1) उड़द, तिल, मूंगफली, राई-सरसों, मटर, मसूर, चना. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. नीमच | . . | | (2) . . | | |
| 3. मनासा | . . | | | | |
| **जिला रतलाम :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. जावरा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. आलोट | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. सैलाना | . . | | | | |
| 4. बाजना | . . | | | | |
| 5. पिपलौदा | . . | | | | |
| 6. रतलाम | . . | | | | |
| **जिला उज्जैन :** | मिलीमीटर | 2. कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. खाचरौद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. महिदपुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. तराना | . . | | | | |
| 4. घटिया | . . | | | | |
| 5. उज्जैन | . . | | | | |
| 6. बड़नगर | 3.0 | | | | |
| 7. नागदा | . . | | | | |
| **जिला आगर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़ौद | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सुसनेर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नलखेड़ा | . . | | | | |
| 4. आगर | . . | | | | |
| **जिला शाजापुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. . . |
| 1. मो. बड़ोदिया | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाजापुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. शुजालपुर | . . | | | | |
| 4. कालापीपल | . . | | | | |
| 5. गुलाना | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला देवास :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सोनकच्छ | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. टोंकखुर्द | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. देवास | . . | | | | |
| 4. बागली | . . | | | | |
| 5. कन्नौद | . . | | | | |
| 6. खातेगांव | . . | | | | |
| **जिला झाबुआ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. थांदला | . . | | 4. (1) गेहूँ कम. मक्का समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. मेघनगर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. पेटलावद | . . | | | | |
| 4. झाबुआ | . . | | | | |
| 5. राणापुर | . . | | | | |
| **जिला अलीराजपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. जोवट | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. अलीराजपुर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कट्टीवाड़ा | . . | | | | |
| 4. सोण्डवा | . . | | | | |
| 5. उदयगढ़ | . . | | | | |
| 6. भामरा | . . | | | | |
| **जिला धार :** | मिलीमीटर | 2. कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. बदनावर | . . | | 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. सरदारपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. धार | . . | | | | |
| 4. कुक्षी | . . | | | | |
| 5. मनावर | . . | | | | |
| 6. धरमपुरी | . . | | | | |
| 7. गंधवानी | . . | | | | |
| 8. डही | . . | | | | |
| **जिला इन्दौर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. देपालपुर | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सांवेर | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. इन्दौर | . . | | | | |
| 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर) | . . | | | | |
| **जिला खरगौन :** | मिलीमीटर | 2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बड़वाह | . . . | | 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. महेश्वर | . . | | (2) . . | | |
| 3. सेगांव | . . | | | | |
| 4. खरगौन | . . | | | | |
| 5. गोगावां | . . | | | | |
| 6. कसरावद | . . | | | | |
| 7. भगवानपुरा | . . | | | | |
| 8. भीकनगांव | . . . | | | | |
| 9. झिरन्या | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***जिला बड़वानी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. बड़वानी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. ठीकरी | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजकोट | . . | | | | |
| 4. सेंधवा | . . | | | | |
| 5. पानसेमल | . . | | | | |
| 6. पाटी | . . | | | | |
| 7. निवाली | . . | | | | |
| **जिला खण्डवा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. खण्डवा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. पंधाना | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. हरसूद | . . | | | | |
| **जिला बुरहानपुर :** | मिलीमीटर | 2. गेहूँ, चना की कटाई का | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बुरहानपुर | . . | कार्य चालू है. | 4. (1) गेहूँ, चना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. खकनार | . . | | (2) . . | चारा पर्याप्त. | |
| 3. नेपानगर | . . | | | | |
| ***जिला राजगढ़ :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. जीरापुर | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. खिलचीपुर | . . | | (2) . . | | |
| 3. राजगढ़ | . . | | | | |
| 4. ब्यावरा | . . | | | | |
| 5. सारंगपुर | . . | | | | |
| 6. पचोर | . . | | | | |
| 7. नरसिंहगढ़ | . . | | | | |
| **जिला विदिशा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. लटेरी | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. सिरोंज | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| 3. कुरवाई | . . | | | | |
| 4. बासौदा | . . | | | | |
| 5. नटेरन | . . | | | | |
| 6. विदिशा | . . | | | | |
| 7. गुलाबगंज | . . | | | | |
| 8. ग्यारसपुर | . . | | | | |
| **जिला भोपाल :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बैरसिया | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना समान. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 2. हुजूर | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | चारा पर्याप्त. | |
| **जिला सीहोर :** | मिलीमीटर | 2. फसल कटाई का कार्य | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. सीहोर | . . | चालू है. | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद. | 8. पर्याप्त. |
| 2. आष्टा | . . | | (2) . . | | |
| 3. इछावर | . . | | | | |
| 4. नसरुल्लागंज | . . | | | | |
| 5. बुधनी | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला रायसेन :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. . . |
| 1. रायसेन | . . | | 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर, लाख, तिवड़ा कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. गैरतगंज | . . | | | | |
| 3. बेगमगंज | . . | | | | |
| 4. गौहरगंज | . . | | (2) . . | | |
| 5. बरेली | . . | | | | |
| 6. सिलवानी | . . | | | | |
| 7. बाड़ी | . . | | | | |
| 8. उदयपुरा | . . | | | | |
| **जिला बैतूल :** | मिलीमीटर | 2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. भैंसदेही | . . | | 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. घोड़ाडोंगरी | . . | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | | |
| 3. शाहपुर | . . | | | | |
| 4. चिचोली | . . | | | | |
| 5. बैतूल | . . | | | | |
| 6. मुलताई | . . | | | | |
| 7. आठनेर | . . | | | | |
| 8. आमला | . . | | | | |
| **जिला होशंगाबाद :** | मिलीमीटर | 2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है. | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी-मालवा | . . | | 4. (1) चना, मटर अधिक. मसूर कम. गेहूँ समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. होशंगाबाद | . . | | | | |
| 3. बावई | . . | | (2) . . | | |
| 4. इटारसी | . . | | | | |
| 5. सोहागपुर | . . | | | | |
| 6. पिपरिया | . . | | | | |
| 7. वनखेड़ी | . . | | | | |
| 8. पचमढ़ी | . . | | | | |
| ***जिला हरदा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. हरदा | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. खिड़किया | . . | | (2) . . | | |
| 3. टिमरनी | . . | | | | |
| **जिला जबलपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सीहोरा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. पाटन | . . | | (2) . . | | |
| 3. जबलपुर | . . | | | | |
| 4. मझौली | . . | | | | |
| 5. कुण्डम | . . | | | | |
| ***जिला कटनी :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. . . | 7. . . |
| 1. कटनी | . . | | 4. (1) . . | 6. . . | 8. . . |
| 2. रीठी | . . | | (2) . . | | |
| 3. विजयराघवगढ़ | . . | | | | |
| 4. बहोरीबंद | . . | | | | |
| 5. ढीमरखेड़ा | . . | | | | |
| 6. बरही | . . | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जिला नरसिंहपुर :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. गाडरवारा | . . | | 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. करेली | . . | | | | |
| 3. नरसिंहपुर | . . | | | | |
| 4. गोटेगांव | . . | | (2) . . | | |
| 5. तेन्दूखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला मण्डला :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. निवास | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. बिछिया | 1.4 | | (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं. | | |
| 3. नैनपुर | . . | | | | |
| 4. मण्डला | . . | | | | |
| 5. घुघरी | . . | | | | |
| 6. नारायणगंज | . . | | | | |
| **जिला डिण्डोरी :** | मिलीमीटर | 2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. . . | 7. पर्याप्त. |
| 1. डिण्डोरी | . . | | 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. शाहपुरा | . . | | | | |
| 3. बजाग | . . | | (2) . . | | |
| **जिला छिन्दवाड़ा :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. कोई घटना नहीं. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. छिन्दवाड़ा | . . | | 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. जुन्नारदेव | . . | | (2) उपरोक्त फसलें समान. | | |
| 3. परासिया | . . | | | | |
| 4. जामई (तामिया) | . . | | | | |
| 5. सोंसर | . . | | | | |
| 6. पांढुर्णा | . . | | | | |
| 7. अमरवाड़ा | . . | | | | |
| 8. चौरई | . . | | | | |
| 9. बिछुआ | . . | | | | |
| 10. हर्रई | . . | | | | |
| 11. बोलखेड़ा | . . | | | | |
| **जिला सिवनी :** | मिलीमीटर | 2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है. | 3. . . | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. सिवनी | . . | | 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, चना, सन समान. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. केवलारी | . . | | | | |
| 3. लखनादौन | . . | | | | |
| 4. बरघाट | . . | | | | |
| 5. उरई | . . | | | | |
| 6. घंसौर | . . | | | | |
| 7. घनोरा | . . | | (2) . . | | |
| 8. छपारा | . . | | | | |
| **जिला बालाघाट :** | मिलीमीटर | 2. . . | 3. . . | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 1. बालाघाट | . . | | 4. (1) . . | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 2. लाँजी | . . | | (2) . . | | |
| 3. बैहर | . . | | | | |
| 4. वारासिवनी | . . | | | | |
| 5. कटंगी | . . | | | | |
| 6. किरनापुर | . . | | | | |

**टीप.**— *जिला भिण्ड, गुना, बड़वानी, राजगढ़, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

**राजीव रंजन,**
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(410)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.